

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Panchkula Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

20/09/2025 17:53 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

17/09/2025

Date To (दिनांक तक):

20/09/2025

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):

20/09/2025

Time (समय): 17:20

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010

Date and Time

(दिनांक और समय):

20/09/2025 17:20

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 90 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): थाना सदोरा , जिला पंचकुला ।,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुरेन्द्र सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): गुलजार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	पाल डायरी रणजीत नगर नजदीक, SP विद्यामन्दिर स्कूल अम्बाला AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव सौन्टा, PATIALA, PUNJAB, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9041196103

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	थानेदार पवन कुमार			1. थाना सदौरा जिला यमुनानगर, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

श्रीमान इन्सपेक्टर साहब,

विजिलैन्स अम्बाला ।

विषय:- सढौरा थाना में I.O पवन कुमार के खिलाफ रिश्त मांगने पर कार्यवाही करने बारे ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुलजार वासी गांव सौन्टा जिला पटियाला हाल पाल डायरी रणजीत नगर नजदीक SP विद्यामन्दिर स्कूल अम्बाला का रहने वाला हूँ । मैं नजदीकी गांवो से दूध इक्कठा करके अपनी पाल डायरी में लाता हूँ और फिर दूध, पनीर, दही इत्यादि तैयार करके बेचता हूँ । मेरे विरुद्ध कुलदीप सिंह वासी गांव छबीलपुर ने कबूतरबाजी का थाना सढौरा जिला यमुनानगर में मुकदमा नम्बर 267/2023 दर्ज करवाया था, जिसमें मैंने अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत करवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मैं, जरनैल सिंह सरपंच गांव लखनौर साहब के साथ दिनांक 15.09.2025 को थाना सढौरा में गया, वहां पर मुझे SHO ने कहा की I.O पवन कुमार थानेदार से मिले । फिर हम पवन कुमार थानेदार से मिले, जिसने मुझे कहा अगर बेल करवानी है तो एक पेटी (एक लाख रुपये) लगेगें । मामला सुप्रीम कोर्ट का है । नही तो हम यह लिखकर भेज देंगे की सहयोग नही किया, जिस पर तेरी बेल कैन्सल हो जाएगी और तेरे पिता जी गुलजार सिंह का भी केस में नाम है, जो बेकसूर होते हुए भी केस में अरैस्ट कर लेंगे । हमने मजबूरी जाहिर की परन्तु थानेदार पवन कुमार ने साफ मना कर दिया कि, हम ऑर्डर की रिसिविंग नही देंगे और तुझे ना ही हाजिर थाना दिखाएंगे और रिप्लाई भेज देंगे और बेल कैन्सल हो जाएगी । दिनांक 17.09.2025 को मैं और सरपंच जरनैल सिंह थानेदार पवन कुमार से मिले और कहा कि रुपये ज्यादा, जिसने कहा की पूरे लगेगे । सरपंच ने कहा कि काम हो जाएगा, तो पवन कुमार थानेदार के साथ रिश्त लेन-देन सम्बन्धि हुई बातचीत को रिकार्डिंग डिवाइस में रिकार्ड किया हुआ है, जिसको मैं बाद में पेश कर दूंगा । मुझे आज पैसे लेकर थाना सढौरा में बुलाया है । मैं यह रिश्त राशि पवन कुमार थानेदार को नही देना चाहता और यदि मैं यह रुपये पवन कुमार थानेदार को यह रिश्त के रुपये नही दूंगा तो वह मेरी बेल को कैन्सल करवा देगा । मैं पवन कुमार थानेदार को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ । उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए । पवन थानेदार ने यह भी कहा कि यदि काम नही हुआ तो पैसे वापिस कर दूंगा ।

SD SURENDER SINGH

सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुलजार वासी

गांव सौन्टा जिला पटियाला हाल पाल डायरी रणजीत नगर नजदीक

SP विद्यामन्दिर स्कूल अम्बाला । मो.न. 9041196103

दिनांक 20.09.2025

कार्यवाही पुलिस:-

आज दिनांक 20.09.2025 को मन निरीक्षक मय स्टाफ अभियोग सख्या 24/2025 थाना रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के अनुसंधान में हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला हूँ, अफसानबाला से आदेश प्राप्त हुआ कि सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुलजार सिंह रेड कार्यवाही करवाना चाहता है, आप सुरेन्द्र सिंह से सम्पर्क करो । कुछ समय बाद सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुलजार वासी गांव सौन्टा जिला पटियाला हाल पाल डायरी रणजीत नगर नजदीक SP विद्यामन्दिर स्कूल अम्बाला ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्टि होने पर मेरी हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500/- रुपये के 200 अदद करेन्सी नोट मुबलिक 1,00,000/- रुपये मन निरीक्षक को पेश किए । जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई । फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता सुरेन्द्र सिंह उपरोक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए । दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के उचित आदेश प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री हेमन्त, ड्रग कन्ट्रोल ऑफिसर अम्बाला से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला आने बारे सूचित किया गया । दरखास्त के मजबूत से पवन कुमार थानेदार थाना सढौरा जिला यमुनानगर के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC ACT 1988 व 308(2) BNS 2023 का सरजद होना पाया गया । मन निरीक्षक मय उ.नि. निर्भय सिंह न. 21/अम्बाला, मु.सि. अजय कुमार न. 03/30, ई.मु.सि. धर्मवीर सिंह 1561/अम्बाला व सि. मनीष न. 433/पंचकूला बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 1432 जिसका चालक ई.मु.सि. रोहित कुमार न.

107/कुरुक्षेत्र व प्राईवेट गाडी तथा तफतीशी बैग, लैपटॉप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त मु.सि. अजय कुमार न. 03/30 के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला मण्डल पंचकुला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग सख्या अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट यमुनानगर व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए।

अज- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला।

SD SUBE SINGH

निरीक्षक,

राज्य सतर्कता एवं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 20.09.2025

समय:01.05 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 13 दिनांक 20.09.2025 धारा 7 PC ACT 1988 व 308(2) BNS 2023 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजिस्ट्रेट साहब, जगाधरी, जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त मु.सि. अजय कुमार न. 03/30 के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया। अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक सुबे सिंह राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल की आई.डी., सी.सी.टी.एन.एस. मे ना होने के कारण निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार CP/17, थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला की हाजिरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): surender Rank (पद): I (Inspector) singh
No. (सं.): 6pkl to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VIRENDER SINGH
SANGWAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

